भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 103*
(11 फ़रवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण सड़कों को जिले की प्रमुख सड़कें बनाना

***103 श्री राहुल कस्वां:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों को जिले की प्रमुख सड़कें (एमडीआर) बनाने के लिए कोई योजना बनाई गई है या बनाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विशेषकर राजस्थान सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों को जिले की प्रमुख सड़कें बनाने का विचार है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को बहुत लंबे समय से वर्गीकृत नहीं किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'ग्रामीण सड़कों को जिले की प्रमुख सड़के बनाना ' के संबंध में दिनांक 11.02.2025 को लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या * 103 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): "ग्रामीण सड़कें" राज्य का विषय है और सड़कों को प्रमुख जिला सड़क (एमडीआर), अन्य जिला सड़क (ओडीआर) , ग्राम सड़क (वीआर) आदि के रूप में घोषित करने का अधिकार राज्यों के पास है।

गरीबी उन्मूलन की रणनीति के एक भाग के रूप में , भारत सरकार ने पात्र असंबद्ध बसावटों को बारहमासी सड़क के माध्यम से संपर्कता प्रदान करने के लिए 25 दिसंबर, 2000 को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरूआत की थी।

वर्ष 2013 में, 50,000 किलोमीटर सड़कों को उन्नयन करने के लक्ष्य के साथ चयनित थ्रू रूट्स और प्रमुख ग्रामीण लिंक (एमआरएल) के उन्नयन के लिए पीएमजीएसवाई-II प्रारंभ किया गया था। पीएमजीएसवाई- III की शुरूआत वर्ष 2019 में, बसावटों को अन्य के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों (जीआरएएमएस) , उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर थ्रु-रूटों और प्रमुख ग्रामीण लिंकों के समेकन और उन्नयन के उद्देश्य से की गई थी। पीएमजीएसवाई- II और III के अंतर्गत सड़कें, यातायात के आधार पर, 5.5 मीटर कैरिएज-वे उन्नयन के लिए पात्र थीं। राजस्थान राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार 5.5 मीटर कैरिएज-वे उन्नयन की गई सड़कों का ब्यौरा क्रमशः पीएमजीएसवाई-II के लिए **अनुलग्नक-I** और पीएमजीएसवाई-III के लिए **अनुलग्नक-II** में है। उन्नयन के तुरंत बाद इन सड़कों को राज्य द्वारा एमडीआर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

2016 में, सुरक्षा की दृष्टि से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए पीएमजीएसवाई के एक अलग घटक के रूप में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) शुरू की गई थी। इन सड़कों की पहचान गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों के गृह विभागों के परामर्श से की गई थी। आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत राज्यवार 5.5 मीटर कैरिएज-वे उन्नयन की गई सड़कों का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में है।

पीएमजीएसवाई-II, III और आरसीपीएलडब्ल्यूईए की कार्यान्वयन अवधि मार्च, 2025 तक है।

****

अनुलग्नक-I

'ग्रामीण सड़कों को जिले की प्रमुख सड़के बनाना' के संबंध में 11.02.2025 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 103 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत 5.5 मीटर कैरिएज-वे उन्नयन की गई सड़कों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन्नयन की गई सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)
आंध्र प्रदेश	2	16.25
अरुणाचल प्रदेश	2	36.63
असम	22	225.14
बिहार	61	776.79
छतीसगढ़	177	2,233.91
गुजरात	94	1,007.69
हरियाणा	88	1,042.24
हिमाचल प्रदेश	17	158.68
जम्मू और कश्मीर	48	297.15
झारखण्ड	6	80.81
कर्नाटक	1	3.69
केरल	6	29.97
मध्य प्रदेश	138	2,421.87
महाराष्ट्र	34	297.23
मणिपुर	3	22.90
मेघालय	2	12.08
मिजोरम	3	136.50
ओडिशा	4	36.35
पुदुचेरी	12	26.04
पंजाब	122	1,332.62
राजस्थान	99	992.17
सिक्किम	1	3.70
तमिलनाडु	6	23.26
तेलंगाना	4	31.68
त्रिपुरा	10	121.04

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन्नयन की गई सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)
उत्तर प्रदेश	88	790.70
उत्तराखण्ड	1	5.18
पश्चिम बंगाल	119	1,244.90
कुल	**1,170**	**13,407.14**

अनुलग्नक-II

'ग्रामीण सड़कों को जिले की प्रमुख सड़के बनाना' के संबंध में 11.02.2025 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 103 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत 5.5 मीटर कैरिएज-वे उन्नयन की गई सड़कों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन्नयन की गई सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)
अंडमान और निकोबार	2	4.73
आंध्र प्रदेश	18	202.61
अरुणाचल प्रदेश	10	129.69
असम	204	1,586.01
बिहार	115	1,348.13
छत्तीसगढ़	253	2,964.11
गुजरात	304	3,015.37
हरियाणा	243	2,331.49
हिमाचल प्रदेश	38	387.89
जम्मू और कश्मीर	50	550.47
झारखण्ड	35	427.70
कर्नाटक	28	243.85
केरल	12	76.15
मध्य प्रदेश	407	5,812.94
महाराष्ट्र	34	253.19
मणिपुर	5	50.30
मेघालय	15	203.16
मिजोरम	3	66.33
नागालैंड	5	110.78
ओडिशा	361	2,891.65
पंजाब	280	2,846.63
राजस्थान	524	5,424.44
तमिलनाडु	25	131.09
तेलंगाना	82	761.30
उत्तर प्रदेश	636	5,420.53

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन्नयन की गई सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)
पश्चिम बंगाल	167	1,469.37
कुल	**3,856**	**38,709.90**

अनुलग्नक-III

'ग्रामीण सड़कों को जिले की प्रमुख सड़के बनाना के संबंध में 11.02.2025 को उत्तर के लिए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 103 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत 5.5 मीटर कैरिएज-उन्नयन की गई सड़कों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन्नयन की गई सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (किमी में)
आन्ध्र प्रदेश	26	357.73
बिहार	94	1,491.11
छत्तीसगढ़	61	1,107.73
झारखण्ड	29	554.32
ओडिशा	29	388.79
तेलंगाना	33	450.26
उत्तर प्रदेश	23	507.80
कुल	**295**	**4,857.74**

****